

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।  
परिपत्र सं०- सी-104 /तक० प्रको०/निर्देशिका/2018-19

दिनांक- 18/03/2019

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक  
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०  
उत्तर प्रदेश।

विषय- ऋण वितरण प्रक्रिया एवं अप्रेजल सम्बंधी निर्देशिका।

उपयुक्त विषयक प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या -सी-89/तक० प्रको०/निर्देशिका/2017-18, दिनांक 05.02.2018 का संदर्भ लें जिसके द्वारा उक्त विषयक निर्देशिका बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कराई गई है।

उक्त निर्देशिका के पृष्ठ संख्या-17 पर तालिका के क्रमांक 18 पर पत्तल बनाने की योजना की ऋण अदायगी त्रुटिवश 10 वर्ष अंकित हो गई है जबकि इस योजना की ऋण अदायगी 05 वर्ष है।

अतः उक्त निर्देशिका में पत्तल बनाने की योजना की ऋण अदायगी 05 वर्ष पढ़ी और समझी जाये।

(अजयपाल सिंह)  
महाप्रबंधक(तक०)

प्रतिलिपि-

1. समस्त जनपदीय प्रबंधक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
5. उप महाप्रबंधक(कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक(तक०)